यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

मिसल संख्या – 489 / 2022 निर्णय दिनांक :–30.09.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र –

1. कैलाशी पत्नी दुर्गालाल जाति बारेठ उम्र बालिग निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. राजेशी पुत्री दुर्गालाल जाति बारेठ उम्र बालिग निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. राम पुत्र दुर्गालाल जाति बारेठ उम्र बालिग निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. लक्ष्मण पुत्र दुर्गालाल जाति बारेठ उम्र बालिग निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. लछमा पुत्री दुर्गालाल जाति बारेठ उम्र बालिग निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. सीमा पुत्री दुर्गालाल जाति बारेठ उम्र बालिग निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

उपस्थित
श्री सागर चौहान **तहसीलदार**
अधिवक्ता प्रार्थी **दूनी**

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात हाल खाता संख्या 626 खसरा नम्बर 960 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 961 रकबा 0.58 है0 व खसरा नम्बर 962 रकबा 0.45 है0 कुल किता 3 कल रकबा 1.50 है0 वाके ग्राम देवडावास पटवार हल्का देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पडोसियों ने नाजायज रूप से फायदा उठाकर प्रार्थीगण की भूमि में मिलाने पर

आमादा है तथा सीमाज्ञान के चिन्हो को धीरे–धीरे अपने खेत में मिलाना चाह रहे है। इस कारण से प्रार्थीगण अपने हिस्से की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहता है ताकि प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी के पडोसी प्रार्थीगण की भूमि को अपने खेतों में मिला सके और मौके पर किसी तरह का विवाद उत्पन्न नही हो। प्रार्थीगण जब भी अपने हिस्से की भूमि पर जाते है तो उसे वहां पर सीमा चिन्ह नही मिलते है। वर्तमान में खेत खाली है। इसलिए अभी खेत की पत्थरगढी की जाती है तो आने वाले समय में फसल काश्त होगी तो कोई विवाद पैदा नही होगा। अप्रार्थीगण तहसीलदार दूनी को लेण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

प्रतिवादी तहसीलदार की तलबी जारी की गई। तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/मौका रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः–तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार खाता संख्यां 626 खसरा नम्बर 960 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 961 रकबा 0.58 है0 व खसरा नम्बर 962 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदारों से सीमा विवाद है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली से दिनांक 10.09.2021 को जारी की गई है। आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि है। पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में बताया गया कि उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज व कब्जे–काश्त है और स्वयं ने ही उक्त खसरा नम्बरों पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से विवाद उत्पादित लोगो को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के प्रार्थना–पत्र संख्या 307/2021 से पाबंद करवाया गया है और

पत्थरगढी इसलिए करवा रहे है ताकि आस पास के सीमा विवाद करने वाले लोगो को सही सीमा का पता चल जाए।

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार कब्जाकाश्त प्रार्थीगण का ही है और प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र संख्या 307/2021 से सीमा विवाद उत्पन्न करने वाले लोगो को जरिए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान अर्थात पत्थरगढी की जा सकती है। अतः तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः जमाबंदी संवत् **2071–74** में अंकित खाता संख्या 626 खसरा नम्बर 960 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 961 रकबा 0.58 है0 व खसरा नम्बर 962 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक, की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार दूनी को मौका कमीश्नर बनाया जाता है और मौका कमीश्नर फीस 1000/– रू0 निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली